न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/सीलिंग/1822/2001/बून्दी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी

अपीलार्थी

बनाम

हनुमान पुत्र मदन लाल जाति ब्राहमण कनवासह बरूधन तहसील व जिला बून्दी

प्रत्यर्थी

अपील/सीलिंग/7477/2007/बून्दी

1.मदन लाल मृतक जरिये विधिक वारिसान–

1/1.हनुमान

1/2. बालबिहारी

1/3. छैलबिहारी पुत्रगण स्व.श्री मदन लाल साकिन बरूधन तहसील बून्दी जिला बून्दी

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थी

एकल पीठ

श्री सुनील कुमार शर्मा सदस्य

उपस्थित

श्री मुकेश जैन अभिभाषक अपीलार्थी हनुमान वगैरा

श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 12.10.2020

1. यह दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 23(2) ए) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम

1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 24–4–2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी ने सीलिंग प्रकरण संख्या 113/83 एवं 201/83 को निर्णित कर 49.44 स्टे.एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर बहक राजस्थान सरकार अधिग्रहित करने के आदेश दिये है।

2. उक्त दोनों प्रकरणों में वादग्रस्त आराजी समान है,पक्षकार समान हैं तथा निर्णायक बिन्दु भी समान होने के कारण दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जाता है। निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण संख्या 113/83 राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के अन्तर्गत पुनः खोला जाकर परीक्षण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया। इस प्रकरण में सहायक जिलाधीश बून्दी ने उनके निर्णय दिनांक 25–4–71से अपीलार्थी की भूमि 91बीघा 6 विस्वा को सीलिंग सीमा से कम मानते हुये प्रकरण को समाप्त कर दिया। प्रकरण संख्या 201/83 राज्य सरकार ने अपने निर्णय दिनांक 21–8–80से पुनः परीक्षण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया। इस प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी बून्दी ने अपने निर्णय दिनांक 27–11–75 में अपीलार्थी की कुल 127 बीघा 2 विस्वा भूमि मानते हुये सीलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों प्रकरणों को इकजाई कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 24–4–2000से 49.44 स्टे.एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर बहक राजस्थान सरकार अधिग्रहित करने के आदेश दिये है।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण संख्या 113/83में पुत्रबधू के हिस्से की आराजी को नहीं माना गया जबकि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी सम्पति है जो भंवर लाल जी के खाते से चली हुई आ रही थी।भंवर लाल के दो पुत्र हजारी लाल व मदन लाल हुये। मदन लाल के भाई हजारी लाल की पत्नी मथुरी थी जो भंवर लाल की पुत्र बधू थी और मदन लाल की भाभी लगती है जिसका उक्त आराजी में पुश्तैनी हक होने के आधार पर जिस प्रकार हजारी लाल का हिस्सा है उसी प्रकार मथुरी का हिस्सा था जिसे नहीं मानने का कोई कारण नहीं था। इसके अतिरिक्त भूमि की गणना गलत रूप से की गई है और स्टे.एकड भी गलत बनाये गये हैं। उनका तर्क है कि वादग्रस्त आराजी सम्बत 2029–30 की जमाबन्दी के अनुसार छैल बिहारी किशन बिहारी एवं बाल बिहारी के नाम दर्ज चली आ रही थी जो बटवारे के तहत प्राप्त की गई थी जिनका पुश्तैनी आराजी पर सम्पूर्ण हक था। वादग्रस्त आराजी मदन लाल की न होकर भंवर लाल के खाते की थी और उसे मदन लाल के खाते की आराजी मानकर जो आराजी अधिग्रहण किये जाने के आदेश पारित किये गये है वह निरस्त किये जाने योग्य है। विधि अनुसार पुश्तैनी आराजी में छैल बिहारी, किशनबिहारी व बालबिहारी नोशनल शेयर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपने कथन के समर्थन में आर बी जे (14)2007पेज 4, 1986 आर एल आर पेज359,1986 आर एल डब्लू पेज250 की नजीरें पेश की।

6. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि भूमिधारी एक यूनिट के बराबर 30

स्टे.एकड भूमि धारण करने का अधिकारी है। जहां तक परिवार के अन्य सदस्यों पुत्रों का प्रश्न है वह भूमिधारी पर आश्रित थे इसलिये उनका अलग से नोश्नल शेयर निर्धारित नहीं किया जा सकता। भूमि की गणना भी सही प्रकार से की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये भूमिधारी के परिवार में छ सदस्य मानकर जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध है। भूमिधारी द्वारा जो ड्राप्ट स्टेटमेन्ट सहायक कलेक्टर बून्दी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था उसमें दिनांक 1–4–66को अपने परिवार में केवल पांच सदस्य ही बताये थे। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भूमिधारी के पास 30 स्टे.एकड भूमि छोडकर शेष भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये जावें।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

8. जहां तक मियाद का प्रश्न है दोनों अपीलों में दोनों पक्षों द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिनका एक दूसरे पक्षकार ने खण्डन नहीं किया है। इसलिये दोनों अपीलों में धारा5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों पर विश्वास करते हुये दोनें अपीलों को अन्दर मियाद मानकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि नकल जमाबन्दी सम्बत 2020–23 के अनुसार भूमिधारी मदन लाल के खाते में ग्राम बरूधन में 81 बीघा 17विस्वा भूमि है। जिसमें से 53बीघा 4विस्वा भूमि भूमिधारी के खाते की थी तथा शेष 28बीघा 13 विस्वा भूमि पैतृक होना प्रमाणित होता है। जिसमें स्वयं भूमिधारी एवं उसकी भौजाई अर्थात भाई हजारी लाल की पत्नी

मथुरी का1/2हिस्सा है। इसके अतिरिक्त ग्राम बरूधन में भूमिधारी के पुत्र हनुमान के खाते में 10 बीघा 2 विस्वा भूमि मौजूद है। इस प्रकार भूमिधारी के खाते में ग्राम बरूधन में निर्धारित दिनांक 1–4–66 को कुल 77बीघा 13 विस्वा भूमि धारित करता था। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्बत 2020–23 के अनुसार ग्राम अलकोदिया में भूमिधारी के खाते में 62बीघा 16विस्वा भूमि और जमाबन्दी सम्बत 2019–22 के अनुसार ग्राम बोरदा माल में 51बीघा भूमि तथा जमाबन्दी सम्बत 2020–23 के अनुसार ग्राम रघुवीर पुरा में 49बीघा 9विस्वा भूमि भूमिधारी के खाते में मौजूद थी। इस प्रकार निर्धारित दिनांक 1–4–66 को कुल 240बीघा 18विस्वा भूमि होना प्रमाणित होता है। उक्त भूमि की स्टे.एकड में गणना करने पर ग्राम बरूधन की 77 बीघा 13 विस्वा के कुल 26–78 स्टे.एकड, ग्राम अलकोदिया की कुल 62बीघा 16विस्वा के 24–36स्टे.एकड,ग्राम बोरदा माल की कुल 51 बीघा भूमि के 18–47 स्टे.एकड तथा ग्राम रघुवीरपुरा की 49बीघा 9विस्वा के 14–83 स्टे.एकड बनते हैं इस प्रकार कुल 240बीघा 18विस्वा भूमि के 84–44 स्टे.एकड बनते हैं। विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि स्टे.एकड की गणना सही रूप से नहीं की गई है। गणना करने पर 240बीघा 18विस्वा के कुल 84–44 स्टे.एकड सही बनाये गये हैं।

10. अब यह निर्धारण करना है कि भूमिधारी के परिवार में निर्धारित दिनांक 1–4–66 को कितने सदस्य थे ?पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार स्वयं भूमिधारी, हनुमान पुत्र,ललिता पौत्री,छैल बिहारी पौत्र,किशन बिहारी पौत्र एवं बाल बिहारी पौत्र कुल 6 सदस्य मौजूद थे। भूमिधारी के पौत्र छैल बिहारी,किशन बिहारी एवं बाल बिहारी के खाते में नकल जमाबन्दी सम्बत 2029–30

के अनुसार तीनों खातों को मिलाकर 81बीघा 17विस्वा भूमि होती है। उक्त भूमि भूमिधारी मदन लाल के खाते से आई है ये तीनों मदन लाल के पौत्र हैं,उक्त भूमि इन्हें बटवारे से प्राप्त हुई है।

11. अब प्रश्न यह उठता है कि पौत्रों को जो भूमि दादा से बटवारे में प्राप्त हुई है वह विधिमान्य है अथवा नहीं ? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने आर बी जे(14)2007 पेज 4 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

RAJASTHAN TENANCY ACT,1955-Chapter 3-B-Decree of partition of a ancestral land based on compromise can not be assumed to be collusive and ineffective.

Para12- Having considered the contentions raised and record that has been placed before us, it is apparently clear firstly that the authorities of Ceiling Act had discarded the decree of the competent Court on his own by ignoring it as a collusive decree. This is not given to any authority much less any statutory authority to discard the validity of a decree of a competent Court partitioning the suit property. Merely because it happened to be based on compromise, it cannot be assumed to be collusive and ineffective, Collusion is a question of fact and has to be proved as any other question of fact. The rights between the parties were declared and the partition between co-sharers took place in recognition of any pre-existing right and that is why the partition is not considered to be a transfer. Therefore, if a valid decree which has not been impeached by any one at any time, the competent quthority under Ceiling Law could not be ignoring a decree of competent Court reach its conclusion contrary to that.

इसी प्रकार आर आर डी 1989 पेज128 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

(c) Raj. Tenancy Act, 1955. S.30-B- Land in khatedari of minor sons of 'R' which they had succeeded to an partition of ancestral property clubbed with land of 'R' which determining ceiling area, merely on ground that at relevant time those sons were minor - Word 'dependent' occurring in S. 30-B meaning of - Held minor sons of 'R' could not be held to be members of 'R's family unless a definite finding was there that they were dependent of 'R'

आर बी जे (13)2006 पेज 157 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

No co- parcener in a HUF is dependent if in that family he is an owner of the entire property of the family in common with the other co-parceners. His rights arise by birth into the family and so long as the family remains joint.

They courts below-required to adjudicate this issue by considering all relevant facts, specially the fact that Shri Durgadan was co-parcener as the land in question is ancestral land, He acquired co-parcenery rights from the day, he born, Therefore, courts below wrongly included his share while determining agricultural land holding of Shri Nathudan. **Writ Petition accepted.**

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में भूमिधारी की भूमि में से हनुमान पुत्र,ललिता पौत्री,छैल बिहारी पौत्र,किशन बिहारी पौत्र एवं बाल बिहारी पौत्र नोशनल शेयर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। कुल भूमि 84–44स्टे.एकड को भूमिधारी के पुत्र पौत्रों में विभाजन करने पर कोई भूमि सीलिंग में अधिग्रहण योग्य नहीं रहती है।

12. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1822/2001खारिज की जाती है। अपील संख्या 7477/2007 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 24–4–2000 निरस्त

किया जाकर अपीलार्थीगण के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य